



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में गैंग लीडर, टॉप-10 चेताराम पाल उर्फ चैतू पाल व गया पाल द्वारा आपराधिक

कृत्यों से अर्जित लगभग दो करोड़ पैंतीस लाख तैंतालीस हजार तीन सौ बयासी रुपये की सम्पत्ति की गयी कुर्क/जब्त ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में संयुक्त पुलिसटीम थाना कबरई, थाना कोतवाली महोबा व राजस्व टीम द्वारा जिला के टॉप-10 सूची में शामिल अभियुक्तों को थाना कबरई मे पंजीकृत मु0अ0सं0 158/2022 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण गैंगलीडर 1. चेताराम पाल उर्फ चैतू पाल पुत्र भग्गू पाल व सदस्य 2. गया पाल पुत्र राम चरन पाल 3. नरेन्द्र पाल पुत्र रामचरन पाल निवासीगण ग्राम मकरबई द्वारा अपराध एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों से अवैध धन अर्जित करके अपने व अपने परिवारीजनो के नाम अर्जित की सम्पत्ति का श्रीमान जिला अधिकारी महोदय महोबा के आदेश के क्रम में ग्राम मकरबई मे मुनादी एवं एलाउन्स व वीडियोग्राफी कराकर समक्ष गवाहन 1. शिवकुमार पुत्र मुन्ना लाल यादव 2. भाहीरथ पुत्र स्व0 लच्छीराम (चौकीदार) 3. अखिलेश पुत्र लाल दिवान, 4. मोहनलाल पुत्र हल्के पाल निवासीगण ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा के समक्ष दिनांक 03.08.2022 को ग्राम मकरबई स्थित अभियुक्तगणो के नाम एवं उनके परिवारीजनो के नाम दर्भ भूमि एवं मकान की जब्तीकरण की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत की गई ।

संयुक्त पुलिसटीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कबरई विनोद कुमार
2. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोबा बलराम सिंह
3. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार प्रभारी चौकी सुरहा
4. उ0नि0 श्री यशवन्त सिंह
5. का0 अवनेश कुमार
6. का0 नईम अहमद
7. का0 शुभम जायसवाल
8. का0 राहुल रंजन
9. का0 मोहित सिंह
10. का0 अर्जुन सिंह
11. म0का0 प्रतिमा सरोज
12. म0का0 भव्या मिश्रा
13. म0का0 खुशबू यादव



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice

7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



कुर्क की गई सम्पत्ति का ब्यौरा-

1. अभियुक्त चेताराम पाल उर्फ चैतू पाल पुत्र भग्गू पाल निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जिला महोबा द्वारा स्वयं व अपने पुत्र व पुत्र वधू के नाम अर्जित की गई सम्पत्ति का विवरण दो मकान ग्राम मकरबई स्थित जिनकी अनुमानित कीमत 50.82 लाख रुपये

खाता सं. 691 गाटा सं. 625, 639, 642, 1298 क्षेत्रफल क्रमशः 0.365 हे0, 0.153 हे0, 0.139 हे0, 0.309 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.966 हे0 अनुमानित कीमत 1468396.00 रुपये,

अभि0 चेताराम पाल उपरोक्त के पुत्र रज्जन पाल के नाम

भूमि- खाता सं0 799 गाटा सं. 641 क्षेत्रफल 0.139 हे0 अनुमानित कीमत 153634.00 रुपये,

अभियुक्त चेताराम पाल उपरोक्त के पुत्रवधू खुशबू पत्नी रज्जन के नाम

भूमि खाता सं0 355 गाटा सं. 93, 94 क्षेत्रफल क्रमश- 0.187 हे0, 0.182 हे0 कुल 0.369 हे0 अनुमानित कीमत 408114.00 रुपये

2. अभियुक्त गयापाल व नरेन्द्र पाल पुत्रगण रामचरन पाल निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जिला महोबा द्वारा स्वयं व अपने भाइयों के नाम अर्जित की गई सम्पत्ति गयापाल के नाम दो मकान ग्राम मकरबई स्थित जिनकी अनुमानित कीमत 48.65 लाख रुपये

भूमि खाता संख्या 428 गाटा सं. 644 क्षेत्रफल 1.912 हे0 अनुमानित कीमत 2114672.00 रुपये,

भूमि खाता सं0 428 गाटा सं. 644 क्षेत्रफल 1.912 हे0 अनुमानित मुल्य 2114672.00 रुपये,

नरेन्द्र पाल के नाम दो मकान ग्राम मकरबई स्थित कीमत – 27,48000 रुपये
अभि0 नरेंद्र पाल व गया पाल के भाई बाबूलाल पाल के नाम
भूमि खाता सं0 939 गाटा सं. 717, 1170, 1179 क्षेत्रफल क्रमशः 0.502 हे0, 0.337 हे0, 0.049 हे0 कुल 0.888 हे0 अनुमानित मुल्य 982128.00 रुपये,
अभियुक्त नरेन्द्र पाल व गया पाल के भाई राजा भइया के नाम दर्ज
भूमि खाता सं. 790 गाटा सं. 1469 क्षेत्रफल 1.052 हे0 अनुमानित मुल्य 1163512.00 रुपये,

अभि0 नरेन्द्र पाल व गया पाल के भाई श्रीपत पाल के नाम दर्ज भूमि खाता सं. 33 गाटा सं. 1159 क्षेत्रफल 2.209 हे0 अनुमानित मुल्य 2443154.00 रुपया उपरोक्त भूमि

कुल जम्त सम्पत्ति-

2,35,43,382/- (दो करोड़ पैतीस लाख तैंतालीस हजार तीन सौ बयासी रुपया)





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भांति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित -

आज दिनांक 04.08.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.08.2022 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष श्री लाखनसिंह द्वारा गठित की गयी टीम उ.नि. श्री श्यामजी यादव व कां.सूर्याश प्रताप सिंह द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा से सम्बन्धित मु.नं. 2952/21 धारा 323/506 भादवि थाना अजनर वारण्टी अभियुक्त अरविन्द पुत्र मंशू राजपूत उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम बुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम बुधवारा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्यामजी यादव थाना अजनर जिला महोबा ।
2. कां0 सूर्याश प्रताप सिंह थाना अजनर जिला महोबा ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द पुत्र मंशू राजपूत उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम बुधवारा थाना अजनर जनपद महोबा

अपराध विवरण-

मु.नं. 2952/21 धारा 323/506 भादवि थाना अजनर





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



“पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी/सैनिक सम्मेलन”

शासन के निर्देशों के अनुपालन में "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के संबंध में दिये गये निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की अध्यक्षता में आज दिनांक 04.08.2022 को पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा आवश्यक निर्देश दिये गये, गोष्ठी के प्रारम्भ में जनपद के विभिन्न थानों/चौकियों से आये पुलिस कर्मियों के साथ सैनिक सम्मेलन किया गया, जिसमें कर्मचारीगण द्वारा बतायी गयी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा सभी थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थों से प्रतिदिन वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा शासन के निर्देशों के अनुपालन में "आजादी का अमृत महोत्सव" के अंतर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के संबंध में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत गणराज्य के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से पुलिस कार्यक्रम आयोजित किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिये, इस दौरान पुलिस अधीक्षक स्वयं व उपस्थित सभी अधीनस्थों ने वेबसाइट पर "Flag Pin" व वेबसाइट पर "Upload selfie with Flag" की सम्पूर्ण प्रक्रिया की गयी।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी की समीक्षा की गयी जिसके दौरान जनपद में घटित घटनाओं एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

मां0 सीएम हेल्पलाइन/आईजीआरएस से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने एवं आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने के निर्देश दिये साथ ही आगामी त्यौहार मोहर्रम व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के



लिए संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था व इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये।

प्र0नि0 यातायात द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने हेतु सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को ब्रेथ एनालाइजर की ट्रेनिंग दी गयी जिसके माध्यम से वाहन चालक का एल्कोहल लेवल चेक कर यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की जा सके।

महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा गुमशुदा/अपहृता की सर्वांगीण के माध्यम से जल्द बरामदगी करने, शांति अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा

एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की समीक्षा की गई, जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब/जुआ के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए।

उक्त मासिक अपराध गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र सहित जनपदीय पुलिस के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, समस्त शाखा प्रभारी आदि अधिकारी/कर्मचारीगण सम्मिलित हुए।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



“परिवार परामर्श केन्द्र”

कमेटी ने परिवारों को बिखरने से बचाया-

आज दिनांक **04.08.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन अवस्थित प्रांगण में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम का आयोजन प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह तथा प्रभारी महिला थाना उ०नि० शिल्पी शुक्ला सहित समस्त परिवार परामर्श कमेटी के सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पारिवारिक विवाद वाले 02 मामलों को बारी-बारी से सुना गया, जिसमें मौजूद परिवार परामर्श कमेटी के सदस्यों की सूझबूझ से पति-पत्नी से संबंधित पारिवारिक विवादों को काउंसलर के द्वारा शिकायतकर्ता व विपक्षीगणों को सुनकर काउंसलिंग की गई, काउंसलिंग के फलस्वरूप 02 जोड़े आपसी मतभेद दूर कर एक साथ रहने को हुए राजी।

इस परिवार परामर्श के दौरान म०कां० अर्चना देवी, म०कां० रेखा देवी, समाजसेविका श्रीमती नीतू पालीवाल, श्रीमती विभा पुरवार, श्रीमती अंशु शिवहरे, सुश्री नेहा चन्सौरिया, समाजसेवी श्री शरद तिवारी दाऊ, श्री शिवकुमार गोस्वामी, मो० हनीफ, रामजी गुप्ता आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 04.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

